न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – डॉ.इंद्रजीत यादव, IAS

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 04/2026
जीसीएमएस नं. : 2026/16

प्रार्थी :–

सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी,
जिला रसद कार्यालय, बॉसवाडा

बनाम

अप्रार्थी :–

श्री खोजेमा भाई चुडीवाला/ जैनुद्दीन, सैफी मौहल्ला,
कुशलगढ, जिला बांसवाडा (राज.)

उपस्थित

–विभागीय प्रतिनिधि

अप्रार्थी स्वयं

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

दिनांक :– 13–05–2026

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान सरकार द्वारा घरेलू एलपीजी सिलेण्डरो के दुरुपयोग/ अवैध रिफिलिंग/ अवैद्य भण्डारण के विरुद्ध दिनांक 16.02.2026 से 27.02.2026 तक चलाए गए सघन अभियान के तहत दिनांक 19.02.2026 को सैफी मौहल्ला कुशलगढ स्थित निजी आवास/ निवास की जांच उसके घर मालिक श्री खोजेमा भाई चुडीवाला/ जैनुद्दीन की उपस्थिति में श्री लालशंकर डामोर प्रवर्तन अधिकारी, श्री सुनील कुमार मीणा प्रवर्तन निरीक्षक, श्री गौरव सुथार प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा की गई। मौके पर 24 घरेलु सिलेण्डर भण्डारित करना पाया गया। उक्त गैस सिलेण्डर का विवरण निम्नानुसार है–

क्र. स.	नाम ऑयल कम्पनी सिलेंडर का एस. आर. नम्बर	नाम ऑयल कम्पनी	कुल वजन किग्रा. में	खाली सिलेण्डर वजन	गैस का वजन
1	287221 T	IOCL	16.200	16.200	0.000
2	824041 G	IOCL	17.000	15.400	1.400
3	108393	IOCL	15.900	15.900	0
4	187555 T	IOCL	15.800	15.400	0.400
5	363081 T	IOCL	15.800	15.800	0

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

	703187 T	IOCL	21.700	15.900	5.800
	271656 S	IOCL	22.700	16.500	6.200
	821517 T	IOCL	17.600	15.600	2.000
	407874	IOCL	17.400	15.900	1.500
	143420 P	IOCL	19.700	15.900	3.800
	814971 B	IOCL	19.500	16.000	3.500
	340341	IOCL	16.000	16.000	0
	459628S	IOCL	16.500	15.900	0.600
	050659 E	IOCL	17.600	15.600	2.000
	346563 G	IOCL	18.100	15.800	2.300
	114785 T	IOCL	18.100	15.600	2.500
	78474	IOCL	30.000	16.000	14.000
	342360	IOCL	29.800	15.800	14.000
	017073 G	IOCL	29.900	16.000	13.500
	053450 T	IOCL	30.000	16.000	14.000
	292179	IOCL	30.100	16.000	14.100
	553343 T	IOCL	29.400	15.400	14.000
	138583 P	IOCL	30.000	15.900	14.100
	107971 S	IOCL	29.800	15.800	14.000

श्री खोजेमा भाई चुडीवाला / जैनुद्दीन के आवास पर एल.पी.जी गैस सिलेण्डर के अवैद्य भण्डारण के सम्बन्ध में किसी प्रकार का संतोषजनक जवाब नही दिया गया, न ही किसी प्रकार के साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। इस प्रकार मौके पर 24 घरेलु गैस सिलेण्डर का अवैद्य भण्डारण करना पाये जाने एवं द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 (ग), 4(1 क), 6, 7 (क,ख,ग) का उल्लधंन होने के साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के खण्ड 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। मौके पर पाये गये 24 घरेलु गैस सिलेण्डर जब्त किया जाकर इण्डेन गैस सर्विस कुशलगढ के प्रतिनिधि श्री मनिष बारीया / धनजी को सुपुर्दगी में दिया गया।

इस प्रकार प्रवर्तन अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर मौके से उपरोक्तानुसार जप्त 24 घरेलु गैस सिलेण्डर को राजसात करने हेतु निवेदन किया।

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी को जरिये समन तलब किया गया। दिनांक 18.03.2026 को अप्रार्थी की ओर से श्री साजिद हुसैन एड्वोकेट का अभिभाषक पत्र पेश हुआ। दिनांक 19.03. 2026 को जवाब पेश किया गया जो शामिल मिसल किया।

दिनांक 15.04.2026 व दिनांक 13.05.2026 को उपस्थित उभय पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत बहस सुनी गई। विभागीय प्रतिनिधि ने कथन किया कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान सरकार द्वारा घरेलू एलपीजी सिलेण्डरो के दुरुपयोग/ अवैध रिफिलिंग/ अवैद्य भण्डारण के विरुद्ध दिनांक 16.02.2026 से 27.02.2026 तक चलाए गए सघन अभियान के तहत दिनांक 19.02.2026 को सैफी मौहल्ला कुशलगढ स्थित निजी आवास/ निवास की जांच उसके घर मालिक श्री खोजेमा भाई चुडीवाला/ जैनुद्दीन की उपस्थिति में श्री लालशंकर डामोर प्रवर्तन अधिकारी, श्री सुनील कुमार मीणा प्रवर्तन निरीक्षक, श्री गौरव सुथार प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा की गई। मौके पर 24 घरेलु सिलेण्डर भण्डारित करना पाया गया। श्री खोजेमा भाई चुडीवाला/ जैनुद्दीन के आवास पर एल.पी. जी गैस सिलेण्ड्र के अवैद्य भण्डारण के सम्बन्ध में किसी प्रकार का संतोषजनक जवाब नही दिया गया, न ही किसी प्रकार के साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। इस प्रकार मौके पर 24 घरेलु गैस सिलेण्डर का अवैद्य भण्डारण करना पाये जाने एवं द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 (ग), 4(1 क), 6, 7 (क,ख,ग) का उल्लघंन होने के साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के खण्ड 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। मौके पर पाये गये 24 घरेलु गैस सिलेण्डर जब्त किया जाकर इण्डेन गैस सर्विस कुशलगढ के प्रतिनिधि श्री मनिष बारीया/ धनजी को सुपुर्दगी में दिया गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 स्वीकार कर उपरोक्तानुसार जप्त 24 घरेलु गैस सिलेण्डर को राजसात करने हेतु निवेदन किया।

अप्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने कथन किया कि अप्रार्थी के विरुद्ध प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय बांसवाडा द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्यवाही की है, जो निराधार है। उक्त कार्यवाही से अप्रार्थी का कोई सम्बन्ध नही है। अप्रार्थी किसी भी प्रकार का घरेलु गैस सिलेण्डरो का व्यवसाय उपयोग नही कर रहा था न ही भण्डारण किया है। रमजान का पवित्र माह होने से रमजान माह में बोहरा समुदाय में घरो में भोजन नही बनता है तथा सभी घरो का एक ही जगह भोजन समाज के गणमान्य लोगो के सहयोग से बनता है तथा सभी समाजजन एक ही जगह बैठकर भोजन करते है। प्रकरण में जब्तशुदा गैस सिलेण्डर समाजजन ने भोजन पकाने हेतु उपलब्ध करवाये थे। चूंकि अप्रार्थी समाज भोजन व्यवस्था के सचिव है, जिस कारण उक्त इस्तेमालशुदा सिलेण्डर उनके घर पर रखे हुए थे। जवाब के संलग्न समाज जन जिनके गैस

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

सिलेण्डर है, उनके गैस कनेक्शन की डायरियों की फोटो प्रति एवं उनके नामो की सूचि जवाब के संलग्न पेश की गई है। जिसमें प्रति उपभोक्ता 2 घरेलु गैस सिलेण्डर है, नाम इस प्रकार है कि --

1. अब्बास अली पिता जाकीर हुसैन
2. मोहम्मद अली कापडीया
3. मुस्तफा रोनक
4. काईद पिता श्री अब्बास
5. अब्दुल्ला भाई पिता श्री मौहम्मद
6. असगर अली पिता अब्बास अली
7. शब्बीर पिता अब्दुल हुसैन
8. असगर अली पिता जुल्फीकार
9. अकबर अली पिता युसुफ अली
10. अजब पत्नि होजेफा
11. मौहम्मद हुसैन पिता फखरुद्दीन
12. हमीदा बाई रागावाला

अप्रार्थी द्वारा कोई अपराध नही किया गया है और न ही गैस सिलेण्डरो का भण्डारण किया है, प्रकरण में जप्तशुदा सिलेण्डर पुनः लौटाए जाने आदेश फरमावे।

हमने पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। जवाब के संलग्न शीया दाउदी बोहरा जमात कुशलगढ के सदस्यो द्वारा यह तस्दीक की गई है कि रमजान माह होने से बोहरा समुदाय में घरो में भोजन नही बनता है तथा सभी घरो का एक ही जगह भोजन समाज के गणमान्य लोगो के सहयोग से बनता है तथा सभी समाजजन एक ही जगह बैठकर भोजन करते है। इसी क्रम में समाजजन द्वारा भोजन सहयोग हेतु गैस सिलेण्डर दिये गये थे। अप्रार्थी की ओर से गैस सिलेण्डर के उपभोक्ताओं की डायरियों की फाटो प्रतियां पेश की गई है। प्रवर्तन अधिकारी द्वारा प्रकरण में कार्यवाही के दौरान किसी गवाहान् के बयान दर्ज नही किये है।

इस प्रकार यह रमजान माह में बोहरा समुदाय के समाजजनो द्वारा भोजन बनाने एवं एक ही जगह भोजन करने की सामान्य वैकल्पिक व्यवस्था प्रतित होती है, तथा प्रकरण में अवैद्य भण्डारण किया जाना प्रतित नही होता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 अस्वीकार किया जाकर, जिला रसद अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त गैस कनेक्शन उपभोक्ताओं की पुर्णतः व्यक्तिशः तस्दीक कर उक्तानुसार सम्बन्धित उपभोक्ताओं को गैस सिलेण्डर सुपूर्द कर इस न्यायालय को पालना से अवगत करावे।

निर्णय आज दिनांक 13-05-2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.इंद्रजीत यादव)
जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)